

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारकित प्रश्न संख्या-186

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

अत्याधुनिक वृहत् विद्युत परियोजनाएं

*186. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग चार हजार मेगावाट की पांच अत्याधुनिक वृहत् विद्युत परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बारे में विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या हर समय विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला उत्पादन जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग ढाई सौ बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि का निवेश करने का सरकार का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अत्याधुनिक वृहत् विद्युत परियोजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 186 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी, हां। सरकार ने 2015-16 के बजट में प्लग-एंड-प्ले मोड में, 4000 मेगावाट प्रति परियोजना के हिसाब से 5 नई अत्याधुनिक वृहत् विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ये परियोजनाएं एक पारदर्शी नीलामी प्रणाली द्वारा अवार्ड की जाएंगी।

(ख) : विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और सभी को सातों दिन चौबीस घंटे (24X7) विद्युत प्रदान करने के लिए, व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के विद्युत क्षेत्र को लगभग 250 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 15 लाख करोड़ रुपए) तक के निवेश की आवश्यकता होगी। यह निवेश विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण पुराने उत्पादन संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित थर्मल, हाइड्रो तथा नवीकरणीय ऊर्जा में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कोयले का उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के संवर्धन इत्यादि के क्षेत्रों में अपेक्षित होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2006

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र की समस्याएं

2006. श्री बैष्णव परिडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का विद्युत क्षेत्र दोहरी समस्याओं का सामना कर रहा है, अर्थात् जहां एक तरफ देशी कोयले की कमी है वहीं दूसरी तरफ आयातित कोयला बहुत महंगा पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की मदद के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को वित्तीय संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की देश में विद्युत की मांग और पूर्ति के बीच के अंतराल को पाटने में उनकी सहायता करने हेतु क्या कार्य-योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2014-15 के लिए 554 मिलियन टन (एमटी) घरेलू कोयले की आवश्यकता की तुलना में 473 एमटी घरेलू कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। इस प्रकार 81 एमटी की कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, विद्युत यूटिलिटीयों को 54 एमटी कोयले का आयात करने की सलाह दी गई थी।

आयातित कोयले का मूल्य विभिन्न कारकों जैसे ऊष्मामान, नमी मात्रा, राख मात्रा, उत्पत्ति का स्रोत, समुद्री भाड़ा इत्यादि पर निर्भर करता है और यह विभिन्न कनसाइनमेंट के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है।

कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) कोल इंडिया लि. द्वारा चालू वर्ष के लक्ष्य से भी अधिक घरेलू कोयले का उत्पादन करने हेतु बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) विद्युत यूटिलिटीयों को घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए आयातित कोयले का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

(iii) सरकार में कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय स्तर पर कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से बारीकी से निगरानी की जा रही है।

(ग) और (घ) : चूंकि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त क्रियाकलाप है, इसलिए उत्पादन परियोजना (परियोजनाओं) के लिए निधियों का प्रबंध उत्पादन परियोजना विकासकर्ता करता है। अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार द्वारा देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात 2016-17 तक, 1,18,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित)। इसकी तुलना में, 09.02.2015 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 52,738 मेगावाट और 31.01.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 9,120 मेगावाट प्राप्त कर ली गई है।
- (ii) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात 2016-17 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना। इसकी तुलना में, जनवरी, 2015 तक 50,503 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 1,64,924 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त कर ली गई है।
- (iii) थर्मल संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को बढ़े हुए कोयला उत्पादन और कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन हानियों को घटाने के लिए सरकार ने उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि-फीडर्स के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें, नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम अनुमोदित की हैं।
- (vi) मौजूदा विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटीयों ने पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना बनाई है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन किया जाता है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2007

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

असम में बिजली का उत्पादन

2007. श्रीमती नाजनीन फारुख:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में असम में बिजली का उत्पादन करने वाली इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो नहीं चल रही हैं, और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार राज्य की मौजूदा बिजली संकट से निपटने में मदद करने के लिए नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा राज्य में मौजूदा बिजली संकट को दूर करने के लिए उन विद्युत उत्पादन इकाइयों को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : असम में स्थित विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्यौरा अनुबंध-1 पर है।

वर्तमान में, बहु-ईंधन आधारित केंद्र, चंद्रापुर (असम) ताप विद्युत केंद्र प्रत्येक 30 मेगावाट की दो यूनिटें मंहगे प्रचालन के कारण 1999 से बंद हैं। एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करके इस विद्युत केंद्र को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है।

12वीं योजना के दौरान विचार की गई वे विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने में असम को सहायता होगी के ब्यौरा अनुबंध-11 पर हैं।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2007 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

असम में स्थित विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्यौरा

स्टेशन का नाम	यूनिटों की सं. x क्षमता (मेगावाट)	31.01.2015 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन	4x50+1x25	225
कथलगुरी कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	6x33.5+3x30	291
चंद्रपुर (असम) थर्मल पावर स्टेशन	2x30	60
करबी लंगपी हाइड्रो पावर स्टेशन	2x50	100
लकवा गैस टरबाइन	4x15+3x20+1x37.2	157.2
नामरूप कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	1x20+2x21+1x11+1x22	95
नामरूप स्टीम टरबाइन	1x24	24
	कुल	952.2

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2007 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान असम राज्य को संभावित लाभ

परियोजना	स्थिति	राज्य परियोजना की स्थान स्थिति	संस्थापित क्षमता	राज्यों का लाभांश (मेगावाट)
बोंगाईगांव टीपीपी यू 1,2, 3	निर्माणाधीन	असम	3X250=750	381
पारे एचईपी	निर्माणाधीन	अरुणाचल प्रदेश	2X55=110	37
कामेंग एचईपी	निर्माणाधीन	अरुणाचल प्रदेश	4X150=600	65
सुबानसिरी लोअर एचईपी	निर्माणाधीन	अरुणाचल प्रदेश	4X250=1000	104
तुरियल*	निर्माणाधीन	मिजोरम	2X30=60	20
त्रिपुरा गैस	चालू की गई	त्रिपुरा	2X363.3=726	240
कुल केंद्रीय क्षेत्र हिस्सा				847
नामरूप सीसीजीटी		असम	100	100
कुल राज्य हिस्सा				100
सकल योग (असम)				947

* उन केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं का हिस्सा, जिनके लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अभी आदेश दिए जाने हैं, अनंतिम हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2008

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

ग्रिड सुरक्षा निर्यात प्रणाली

2008. डा. चंदन मित्रा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रिड सुरक्षा निर्यात प्रणाली (जीएसईएस) को विकसित करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विद्युत पारेषण नेटवर्क पर संभावित साइबर हमले को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) बड़े पैमाने पर बार-बार होने वाली ग्रिड विफलता को रोकने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली (जीएसईएस) पावरग्रिड द्वारा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जानकारी आधारित पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा प्राप्ति (स्काडा) प्रणाली 132 केवी स्टेशनों तक अंकीय रिलेज व दूरस्थ टर्मिनल यूनिटों तथा विश्वसनीय ऑप्टिकल फायबर ग्राउण्ड फायर (ओपीजीडब्ल्यू) संचरण प्रणाली का संस्थापन शामिल है। जीएसईएस का उद्देश्य विश्वसनीय तथा सुरक्षित ग्रिड प्रचालन को सुगम बनाने के लिए चालित रक्षा तंत्र का कार्यान्वयन करना है।

(ग) : सीईआरटी इन (कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडियन) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकार की महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों, सरकारी व निजी क्षेत्र के संसाधनों एवं सेवाओं की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ी बाधाओं की रोकथाम के लिए साइबर आक्रमणों तथा साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की है। साइबर आक्रमण तथा साइबर आतंकवाद का सामना करने हेतु संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रियाओं पर

प्रभाव डालने वाली साइबर संबंधित घटनाओं को कम करने तथा इसकी बहाली हेतु इनका शीघ्र पता लगाने हेतु तत्काल प्रतिक्रिया तथा निवारणात्मक कार्रवाई करने, साइबर संबंधित घटनाओं से निपटने हेतु खाका तैयार किया गया है।

दिसंबर, 2010 में, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के लिए सीईआरटी (कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) अर्थात सीईआरटी-ताप (नोडल एजेंसी-नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), सीईआरटी-हाइड्रो (नोडल एजेंसी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) तथा सीईआरटी-पारेषण (नोडल एजेंसी-पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) का गठन उनके क्षेत्र में साइबर आक्रमणों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु किया है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों को भी अपने क्षेत्र के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वयं उन्हें नोडल एजेंसी अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल तथा सीईआरटी इन सामंजस्य रखने की सलाह दी गई है।

(घ) : जुलाई, 2012 के ग्रिड की विफलता के कारणों की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर सरकार द्वारा ग्रिड विफलता की रोकथाम के लिए कई उपाय जैसे तृतीय पक्ष संरक्षण लेखापरीक्षा अनिर्धारित अंतरपरिवर्तन तंत्र की समीक्षा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण पारेषण आयोजना मानदंड की समीक्षा आवृत्ति बैंड को संकुचित करना, बंदी की समन्वित आयोजना, आइलैंडिंग योजनाओं विकास, आवृत्ति रिले का उचित रख-रखाव आदि किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2009

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति

2009. श्रीमती झरना दास बैद्यः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कम आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकारों/ राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। राज्यों को सहायता दे दी जाती है और इसके पश्चात ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति करना राज्यों पर निर्भर करता है ।

(ख) से (घ) : वितरण लाइसेंसियों को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करनी होती है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वितरण यूटिलिटीयों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मानक निष्पादन भी अधिसूचित किया है और वे मानक निष्पादन में सूचीबद्ध पैरामीटरों पर आधारित विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन की निगरानी भी करते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2010

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों
का उपयोग

2010. श्री के. सी. त्यागी:

श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और बिजली की मांग और आपूर्ति में संतुलन बिठाने के लिए क्लियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एलईडी बल्ब, जो साधारण बल्बों की तुलना में 80 प्रतिशत कम बिजली की खपत करते हैं, साधारण बल्बों की तुलना में 40 गुना ज्यादा महंगे हैं;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों की कीमतों में कमी करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 87087 मेगावाट क्षमता की 89 ताप विद्युत परियोजनाएं और 14218 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने में इन परियोजनाओं से 12वीं योजना के दौरान तथा इसके बाद लाभ मिलने की संभावना है।

(ख) से (घ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, एलईडी बल्बों की मांग में वृद्धि करने और उनके मूल्य को कम करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) ने एलईडी बल्बों का थोक प्रापण किया है। आज की तिथि तक, कुल 145 लाख एलईडी बल्बों का प्रापण किया गया है जिसके फलस्वरूप एलईडी बल्बों की थोक कीमत, जो फरवरी, 2014 में 310 रुपए थी, घटकर फरवरी, 2015 में 103.95 रुपए हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2011

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

वृहद जलविद्युत परियोजनाएं

2011. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किन्हीं नई वृहद जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्य कर रही हैं और कितनी लम्बित हैं;

(ग) क्या किसी परियोजना पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, हाँ। प्रचालनगत में और निर्माणाधीन मेगा जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता मेगावाट में
प्रचालन में (कार्यरत)	28	21195.60
निर्माणाधीन (जारी)	10	8720.00
कुल	38	29915.60

चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2011 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
	अरुणाचल प्रदेश		
1	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	600.00
2	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	2000.00
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश		2600.00
	हिमाचल प्रदेश		
3	कोलडैम (एनटीपीसी)	केंद्रीय	800.00
4	पार्वती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	800.00
	उप-जोड़ (हिमाचल प्रदेश)		1600.00
	जम्मू व कश्मीर		
5	बगलीहार-II (जेकेपीडीसीएल)	राज्य	450.00
6	रत्ने (आरएचईपीपीएल)	निजी	850.00
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर		1300.00
	सिक्किम		
7	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा)	निजी	1200.00
8	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	500.00
	उप-जोड़ (सिक्किम)		1700.00
	उत्तराखण्ड		
9	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	520.00
10	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	1000.00
	उप-जोड़ (उत्तराखण्ड)		1520.00
	सकल योग		8720.00

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2012

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम की प्रभावकारिता

2012. श्रीमती शशिकला पुष्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रभावकारिता का आकलन किया है और यदि हां, तो उक्त अधिनियम की प्रभावकारिता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मौजूदा परिस्थितियों में इसकी प्रभावकारिता के संबंध में शिकायतें हुई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार उपरोक्त शिकायतों के आलोक में तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और प्रयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने और सामान्य रूप से विद्युत के उद्योग के विकास को सहायक बनाने के उपाय करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया।

विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन के लगभग 12 वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर, यह महसूस किया गया कि जहां उत्पादन क्षमता संवर्धन, राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना, बहु-स्तरीय विनियामक संरचना,

निजी क्षेत्र सहभागिता, विद्युत बाजार एवं विनिमय के विकास तथा विद्युत राज्य बोर्डों के पुनर्गठन के क्षेत्रों में प्रभावी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वहीं वितरण क्षेत्र, जिसका प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है, का विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी रहा है। ग्रिड अनुशासनहीनता, विनियामक उत्तरदायित्व इत्यादि जैसे अन्य मामले भी हैं जिनमें यह महसूस किया गया था कि वितरण क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता लाने एवं उपभोक्ताओं को चयन का विकल्प देने के लिए अधिनियम के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप कुछ प्रावधानों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

12वीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम बनाने के लिए सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 4 मार्च, 2011 को गठित विद्युत कार्य दल ने विद्युत अधिनियम, 2003 में कुछ विधायी परिवर्तनों का सुझाव दिया। इसके पश्चात, विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों की जाँच तथा उन पर सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने विभिन्न पणधारियों के साथ चर्चा की और दिनांक 29 मार्च, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट तथा इस संबंध में आगे हुई चर्चाओं के आधार पर, प्रस्तावित संशोधनों को, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और साथ ही टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों को भी परिचालित किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 दिसंबर, 2014 को, विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है, जैसा कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 को दिनांक 19.12.2014 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इन संशोधनों में रिटेल में प्रतिस्पर्धा (अर्थात् खुदरा आपूर्तिकर्ता चुनने के लिए उपभोक्ता को विकल्प), नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) का कड़ा प्रवर्तन तथा ग्रिड सुरक्षा की अपेक्षाएं इत्यादि परिकल्पित हैं। विधेयक को संसदीय ऊर्जा समिति के पास भेजा जा चुका है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकारों, विकासकर्ताओं, व्यापारियों, ऋणदाताओं तथा संबंधित मंत्रालयों/योजना आयोग सहित विभिन्न पणधारियों से परामर्श किया था। पणधारियों से प्राप्त सुझावों पर, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2013 को अंतिम रूप देते समय विधिवत रूप से विचार किया गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2013

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

अटकी पड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

2013. श्री अम्बेथ राजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसी-न-किसी कारण से अनेक जल-विद्युत परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ये परियोजनाएं कब से अटकी पड़ी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पुनः आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हां। अटकी पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं तथा उनके पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2013 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निम्नलिखित 4 परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अटकी पड़ी हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता	राज्य/निष्पादन एजेंसी	कब से अटकी पड़ी हैं	कारण	सरकार द्वारा उठाए गए कदम
1.	सुबानसिरी लोअर	2000 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	16.12.2011	असम के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन	विद्युत मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर, 2014 को आंदोलन करने वाले समूहों सहित पणधारियों की एक बैठक आयोजित की थी। तदनुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.01.2015 को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मामले का समाधान करने के लिए एक परियोजना निगरानी समिति का गठन किया गया है।
2.	तीस्ता-III	1200 मेगावाट	सिक्किम तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	सितंबर, 2014	धन की कमी	इन मामलों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर, 2014 से पणधारियों के परामर्श को सुविधाजनक बनाया है।
3.	महेश्वर	400 मेगावाट	मध्य प्रदेश एसएमएचपीसी एल	नवंबर, 2011	धन की कमी	भारत सरकार के दृष्टांत पर मध्य प्रदेश ने मामलों का समाधान करने के लिए अपर मुख्य सचिव (वित्त), मध्य प्रदेश सरकार सरकार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
4.	लता तपोवन	171 मेगावाट	उत्तराखण्ड एनटीपीसी	08.05.2014	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के अनुरूप सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं।	मामला न्यायाधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2014

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

वृहद ताप विद्युत संयंत्र

2014. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन करने वाली केन्द्रीय कंपनियां/इकाइयां झारखण्ड के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में वृहद ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्थापित मध्यम और वृहद ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता का संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कुछ ताप विद्युत संयंत्र विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत उन ताप विद्युत परियोजनाओं जिन्हें वृहद दर्जा दिया गया है, की राज्यवार सूची अनुबंध-I पर है।

(ग) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अर्थात् 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15) के दौरान स्थापित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची अनुबंध-II पर है।

(घ) : विदेशी सहयोग से 12वीं योजना के दौरान स्थापित ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची अनुबंध-III पर है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2014 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	आकार: यूनिटों की संख्या x यूनिट का आकार (मे.वा.)	कुल क्षमता (मे.वा.)	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री -II एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
2	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	3x250	750	निर्माणाधीन
3	बिहार	काहलगांव II, फेज -I एंड II एसटीपीपी	एनटीपीसी	3x500	1500	चालू की गई
4	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी	एनटीपीसी	3x660	1980	निर्माणाधीन
5	बिहार	बाढ़-II एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	चालू की गई
6	बिहार	रेलवे के साथ नबीनगर संयुक्त उद्यम	एनटीपीसी	4x 250	1000	निर्माणाधीन
7	बिहार	बिहार के साथ नबीनगर एसटीपीपी संयुक्त उद्यम	एनटीपीसी	3x660	1980	निर्माणाधीन
8	छत्तीसगढ़	सिपत II एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
9	छत्तीसगढ़	सिपत चरण-I एसटीपीपी	एनटीपीसी	3x660	1980	चालू की गई
10	छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x800	1600	निर्माणाधीन
11	गुजरात	झनोर गंधार सीसीपीपी-II	एनटीपीसी	2x650	1300	चालू की गई
12	गुजरात	कवास सीसीपीपी-II	एनटीपीसी	2x650	1300	चालू की गई
13	हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी- जेवी प्रोजेक्ट	एनटीपीसी	3x500	1500	चालू की गई
14	झारखंड	कोडरमा टीपीएस चरण-I	डीवीसी	2x500	1000	चालू की गई
15	झारखंड	नोंथ कर्णपुरा एसटीपीपी	एनटीपीसी	3x660	1980	निर्माणाधीन
16	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	3x800	2400	निर्माणाधीन
17	केरल	राजीव गांधी सीसीपीपी चरण-II फेज-I	एनटीपीसी	3x350	1050	चालू की गई
18	मध्य प्रदेश	विध्यांचल चरण -III एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
19	मध्य प्रदेश	विध्यांचल चरण-IV एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
20	मध्य प्रदेश	बरेथी एसटीपीपी	एनटीपीसी	6x660	3960	अभी निर्माण कार्य चालू होना है
21	मध्य प्रदेश	खरगौन एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	अभी निर्माण कार्य चालू होना है
22	मध्य प्रदेश	गदरवाड़ा एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माणाधीन
23	महाराष्ट्र	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा. लि. (आरजीपीपीएल)	एनटीपीसी/गेल/ महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम	2150	2150	चालू की गई
24	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
25	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माणाधीन
26	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माणाधीन
27	ओडिशा	तालचेर -II एसटीपीपी	एनटीपीसी	4x500	2000	चालू की गई
28	ओडिशा	गजमारा एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	2x800	1600	निर्माण कार्य अभी चालू होना है
29	ओडिशा	तालचेर एसटीपीपी चरण -III	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माण कार्य अभी चालू होना है
30	ओडिशा	दरलीपल्ली एसटीपीपी चरण-I	एनटीपीसी	2x800	1600	निर्माणाधीन
31	पंजाब	गिद्धरबाहा एसटीपीपी	एनटीपीसी	4x660	2640	निर्माण कार्य अभी चालू होना है

32	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	एनएलसी	2x500	1000	यू-1- चालू की गई, यू-2 - निर्माणाधीन
33	तमिलनाडु	वेल्लूर एसटीपीपी चरण-I फेज I एंड II ,	एनटीपीसी - तमिलनाडु एनर्जी कं. लि.	3x500	1500	चालू की गई
34	उत्तर प्रदेश	रिहंद II एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
35	उत्तर प्रदेश	रिहंद -III एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x500	1000	चालू की गई
36	उत्तर प्रदेश	टांडा -II एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माणाधीन
37	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माणाधीन
38	उत्तर प्रदेश	बिलहौर एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x660	1320	निर्माण कार्य अभी चालू होना है
39	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	2x500	1000	चालू की गई
40	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीएस फेज-I	डीवीसी	2x600	1200	यू-1- चालू की गई, यू-2 - निर्माणाधीन
41	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीएस फेज -II	डीवीसी	2x660	1320	निर्माणाधीन
42	पश्चिम बंगाल	कातवा एसटीपीपी	एनटीपीसी	2x800	1600	निर्माण कार्य अभी चालू होना है

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2014 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	परियोजना नाम	जोड़ी गई वास्तविक क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की वास्तविक तिथि
वर्ष 2011-12			
	<u>केंद्रीय क्षेत्र</u>		
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री एसटीपीएस एक्स.	500	30.03.12
छत्तीसगढ़	सिपत-I	660	28.06.11
		660	24.12.11
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	500	05.11.11
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	500	20.07.11
तमिलनाडु	वेल्लूर टीपीपी फेज-I	500	28.03.12
तमिलनाडु	नेयवेली टीपीएस-II एक्स.	250	04.01.12
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	500	29.07.11
		500	23.03.12
	<u>राज्य क्षेत्र</u>		
आंध्र प्रदेश	कोठागुडम टीपीपी -VI	500	26.06.11
असम	लकवा वेस्ट हीट यूनिट	37.2	24.12.11
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी- III	250	29.02.12
गुजरात	हजीरा सीसीपीपी एक्स.	351	18.02.12
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	500	23.03.12
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस एक्सपे.	500	07.03.12
		500	30.03.12
महाराष्ट्र	खापरखेड़ा टीपीएस एक्सपे.	500	05.08.11
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सटें.	250	27.09.11
पश्चिम बंगाल	संतालडिह टीपीपी एक्सटें. फेज-II	250	29.06.11
	<u>निजी क्षेत्र</u>		
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी टीपीएस फेज-I	150	24.03.12(क)
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	135	13.12.11
छत्तीसगढ़	काटघोरा टीपीपी	35	14.02.12
छत्तीसगढ़	एसवी पावर टीपीपी	63	07.12.11
दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी	36.5	04.09.11
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-II	660	20.07.11
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-III	660	07.11.11
		660	03.03.12
		660	09.03.12
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	800	25.02.12
गुजरात	सलाया टीपीपी	600	22.02.12
हरियाणा	जज्जर टीपीपी (महात्मा गांधी टीपीपी)	660	12.01.12
झारखण्ड	मैथॉन आरबी टीपीपी	525	30.06.11
		525	23.03.12
कर्नाटक	उडुपी टीपीपी	600	17.04.11
महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	300	06.05.11
		300	08.10.11
महाराष्ट्र	मिहान टीपीएस	61.5	09.02.12
		61.5	09.02.12

		61.5	09.02.12
		61.5	09.02.12
महाराष्ट्र	वर्धा वरौरा टीपीपी	135	30.04.11
ओडिशा	स्टरलाइट टीपीपी	600	16.08.11
राजस्थान	जलीपा-कपूर्दी टीपीपी	135	02.11.11
		135	23.11.11
उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी	600	15.11.11
उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी	600	12.11.11
उत्तर प्रदेश	बरखेड़ा टीपीपी	45	06.11.11
		45	28.01.12
उत्तर प्रदेश	खांवरखेड़ा टीपीपी	45	17.10.11
		45	28.11.11
उत्तर प्रदेश	कुंदरकी टीपीपी	45	10.01.12
		45	29.02.12
उत्तर प्रदेश	मकसूदपुर टीपीपी	45	03.11.11
		45	21.01.12
उत्तर प्रदेश	रोसा टीपीपी फेज-II	300	27.12.11
		300	30.03.12
उत्तर प्रदेश	उतराला टीपीपी	45	21.02.12
		45	19.03.12
	वर्ष 2012-13		
	<i>केंद्रीय क्षेत्र</i>		
मध्य प्रदेश	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	500	14.06.12
मध्य प्रदेश	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	500	25.03.13
उत्तर प्रदेश	रिहंद एसटीपीएस- III	500	25.05.12
छत्तीसगढ़	सिपत-I	660	02.06.12
महाराष्ट्र	मौदा टीपीपी	500	19.04.12
महाराष्ट्र	मौदा टीपीपी	500	29.03.13
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	500	07.11.12
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज I	500	28.02.13
झारखण्ड	कोडरमा टीपीपी	500	15.02.13
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	363.3	03.01.13
	<i>राज्य क्षेत्र</i>		
छत्तीसगढ़	कोरबा वेस्ट स्टे.-III	500	22.03.13
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	250	27.06.12
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	351	27.03.13
गुजरात	उकई टीपीपी एक्सटें.	500	05.03.13
राजस्थान	रामगढ़	110	20.03.13
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीएस एक्सटें.	250	22.03.13
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई एक्सटें.	600	09.03.13
तमिलनाडु	मेडूर टीपीएस एक्सटें.	600	11.10.12
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें.	250	24.05.12
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें.	250	11.03.13
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सटें.	250	25.05.12
	<i>निजी क्षेत्र</i>		
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी टीपीपी फेज-I	150	02.07.12
आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी-I	150	09.09.12
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	135	21.06.12
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	50	03.02.13
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	800	25.07.12
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	800	16.10.12
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	800	16.01.13
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	800	18.03.13

गुजरात	सलाया टीपीपी	600	13.06.12
गुजरात	उनो सुजैन मेगा सीसीपीपी	382.5	20.01.13
हरियाणा	जज्जर टीपीएस (महात्मा गांधी टीपीपी)	660	11.04.12
झारखण्ड	आधुनिक पावर टीपीपी	270	19.11.12
झारखण्ड	आधुनिक पावर टीपीपी	270	29.03.13
महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II,	300	17.08.12
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	270	20.03.13
महाराष्ट्र	एमको वरौरा टीपीपी,	300	07.02.13
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	660	11.09.12
	तिरौरा टीपीपी फेज-I	660	25.03.13
महाराष्ट्र	गुप्ता एनर्जी पावर लि.	60	28.04.12
महाराष्ट्र	गुप्ता एनर्जी पावर लि.	60	08.09.12
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी स्टे.-I	270	25.03.13
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	250	12.08.12
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	250	31.03.13
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	600	24.02.13
राजस्थान	जलीपा-कपूर्दी टीपीपी,	135	05.02.13
राजस्थान	जलीपा-कपूर्दी टीपीपी,	135	03.03.13
राजस्थान	जलीपा-कपूर्दी टीपीपी,	135	28.02.13
राजस्थान	जलीपा-कपूर्दी टीपीपी,	135	16.03.13
ओडिशा	स्टरलाइट टीपीपी,	600	25.04.12
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	350	28.03.13
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी-2 (इण्ड बराथ)	150	10.03.13
	वर्ष 2013-14		
	केंद्रीय क्षेत्र		
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	660	30.11.13
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी-II	500	28.02.14
उत्तर प्रदेश	रिहंद एसटीपीएस- III	500	07.10.13
	राज्य क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	500	30.03.14
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	250	07.05.13
		250	26.02.14
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	351	05.02.14
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्रीसिंगाजी टीपीपी)	600	18.11.13
	सतपुरा टीपीएस एक्सटें.	250	25.12.13
राजस्थान	छाबड़ा टीपीएस एक्सटें.	250	14.09.13
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस एक्सटें., यू-1	600	13.09.13
त्रिपुरा	रोखिया सीसीपीपी	21	31.08.13
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें. यू-8	250	31.03.14
	निजी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा. लि. फेज-II	150	21.02.14
	थामिनापट्टनम टीपीपी-I	150	17.04.13
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नेयारा) टीपीपी	600	13.08.13
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीपी, यू-1	600	31.03.14
छत्तीसगढ़	बारादरहा टीपीपी	600	23.02.14
छत्तीसगढ़	चकाबुरा टीपीपी	30	28.03.14
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	600	10.03.14
छत्तीसगढ़		600	30.03.14
गुजरात	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	400	12.01.14
		400	09.03.14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	270	17.02.14
महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II	300	31.03.14
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	300	03.11.13

महाराष्ट्र	एमको वरीरा टीपीपी	300	27.08.13
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	270	25.02.14
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	660	10.06.13
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	660	23.03.14
मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	45	01.12.13
	सासन यूएमपीपी	660	18.12.13
		660	30.05.13
		660	25.03.14
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	350	28.09.13
ओडिशा		350	21.03.14
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	700	24.01.14
राजस्थान	कवाई टीपीपी	660	28.05.13
		660	24.12.13
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी-II (इंड बराथ)	150	30.12.13
	वर्ष 2014-15		
	केंद्रीय क्षेत्र		
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	660	04.03.15
तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	250	24.01.15
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	500	10.03.15
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	363.3	16.11.14
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I	600	24.08.14
	राज्य क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	दामोदर संजीव्याह टीपीएस	800	28.08.14
गुजरात	धुवरन सीसीपीपी-III	376.1	21.05.14
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्रीसिंगाजी टीपीपी)	600	15.10.14
राजस्थान	छाबड़ा टीपीएस एक्सटें.	250	30.06.14
राजस्थान	कालीसिंध टीपीपी	600	02.05.14
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें. -III	50	01.05.14
	निजी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	660	07.02.15
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी फेज-II	150	06.03.15
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	600	22.08.14
छत्तीसगढ़	तमनार (रायगढ़) टीपीपी	600	07.01.15
छत्तीसगढ़	सलौरा टीपीपी	135	10.04.14
छत्तीसगढ़	राइखेड़ा टीपीपी	685	27.02.15
गुजरात	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	400	23.04.14
महाराष्ट्र	धारीवाल इफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	300	28.05.14
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	660	25.09.14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	270	29.01.15
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	270	04.03.15
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	660	29.08.14
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	660	17.02.15
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	660	21.05.14
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	660	24.08.14
ओडिशा	देरांग टीपीपी	600	10.05.14
ओडिशा	देरांग टीपीपी	600	24.01.15
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	660	17.06.14
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	700	06.07.14
तमिलनाडु	मेलामरुथुर टीपीपी	600	02.12.14
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी-I	300	14.01.15
	हल्दिया टीपीपी-I	300	16.02.15

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2014 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वास्तविक तिथि	विदेशी सहयोगी
1	थामिनाप्टनम टीपीपी फेज-1 (2x150 मेगावाट)	यू-1	150	09.09.12	जीडीएफ, सुएज एनर्जी इंटरनेशनल
		यू-2	150	17.04.13	
2	पैनमपुरम टीपीपी (2x660 मेगावाट)	यू-1	660	07.02.15	मैसर्स सेमकॉर्प यूटिलिटी, सिंगापुर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2015

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

बिजली में राज्यों की हिस्सेदारी में वृद्धि

2015. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली में उन राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है जहां बिजली का उत्पादन होता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में किन्हीं नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं। तथापि, जनवरी, 2011 में एनटीपीसी की 14 नई परियोजनाओं में गृह राज्य के आबंटन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन की नई परियोजनाओं के संबंध भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है।

(ग) : आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में निर्माणाधीन नए विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2015 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आंध्र प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन वर्तमान नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
	थर्मल				
1	रायलसीमा स्टे.-IV टीपीएस	राज्य	एपजेंको	यू-6	600
2	श्री दामोदरम संजीव्याह (कृष्णापट्टनम) टीपीपी	राज्य	एपजेंको	यू-2	800
3	थमिनाफ्टनल टीपीपी फेज-II	निजी	मीनाक्षी एनर्जी	यू-3,4	700
4	भवानापडु टीपीपी फेज-I	निजी	ईस्ट कोस्ट एनर्जी	यू-1,2	1,320
5	विजग टीपीपी	निजी	हिंदुजा	यू-1,2	1040
6	पैनमपुरम टीपीपी	निजी	टीपीटी कारपो.	यू-2	660
7	नागार्जुन टीपीपी	निजी	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं.	यू-1,2	1,320
			कुल (थर्मल)		6,440
	हाइड्रो				
1	नागार्जुन सागर	राज्य	एपजेंको	यू-1,2	50
			कुल (हाइड्रो)		50
	कुल				6,490

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2016

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में एनटीपीसी
की इकाइयां

2016. श्री रामदास अठावले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित एनटीपीसी की यूनिटों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) आज की तारीख के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और यूनिट-वार आयी खराबी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार ने इसकी यूनिटों में आयी बार-बार खराबी की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और
- (घ) क्या सरकार देश के जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में एनटीपीसी की यूनिट स्थापित किए जाने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2600 मेगावाट के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की है।

(ख) : उपर्युक्त यूनिट में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई समस्या नहीं आई है।

(ग) : उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : बोंगईगांव, असम में निर्माणाधीन एनटीपीसी की 750 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्र में है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2017

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण

2017. डा. भालचन्द्र मुणगेकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य-वार कितने जनजातीय गांवों/अधिवासों को बिजली का कनेक्शन प्रदान किया गया है; और

(ख) मंत्रालय का आगामी तीन वर्षों के दौरान सभी जनजातीय गांवों/अधिवासों को बिजली प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने जनजातीय गांवों/वासस्थलों सहित ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का सृजन करने एवं घरों का विद्युतीकरण करने के लिए अप्रैल 2005 में पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आरजीजीवीवाई को अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में समाहित कर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत जनजातीय गांवों/वासस्थलों सहित राज्य-वार गांवों/वासस्थलों के ब्यौरे अनुबंध पर है।

(ख) : सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आरंभ की है जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान 43033 करोड़ रुपए की स्कीम लागत से वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और गैर-विद्युतीकृत गांवों (जनजातीय गांवों सहित) के ग्रामीण विद्युतीकरण सहित फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण की परिकल्पना की गई है।

12वीं योजना के अंतर्गत, आरजीजीवीवाई को पूर्ववर्ती स्कीम के अंतर्गत 273 परियोजना संस्वीकृत की गई है जिसमें जनजातीय गांवों/वासस्थलों सहित 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 2,31,935 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2017 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		यूईवी	आईईवी	यूईवी	आईईवी	यूईवी	आईईवी
1	आंध्र प्रदेश*	0	4099	0	965	0	-625
2	अरुणाचल प्रदेश	634	303	387	220	282	250
3	असम	1810	3013	190	618	125	354
4	बिहार	1048	1145	701	830	206	643
5	छत्तीसगढ़	682	1744	214	1756	164	1934
6	गुजरात*	0	6947	0	1860	0	-195
7	हरियाणा*	0	605	0	1932	0	272
8	हिमाचल प्रदेश	52	0	5	9475	0	-1315
9	जम्मू व कश्मीर	35	674	28	443	27	328
10	झारखण्ड	724	592	181	224	47	57
11	कर्नाटक	2	918	1	100	-4	-962
12	केरल*	0	0	0	144	0	428
13	मध्य प्रदेश	228	6985	92	5992	98	4773
14	महाराष्ट्र*	0	8086	0	4185	0	-906
15	मणिपुर	345	155	0	161	0	23
16	मेघालय	1022	476	482	686	144	667
17	मिजोरम	53	142	5	8	13	-6
18	नागालैंड	22	348	9	344	4	41
19	ओडिशा	1039	6200	119	3464	84	1677
20	पंजाब*	0	0			0	6030
21	राजस्थान	182	3064	138	4011	18	182
22	सिक्किम	5	50	0	8	0	6
23	तमिलनाडु*	0	5130	0	-319	0	0
24	त्रिपुरा	49	224	16	154	1	35
25	उत्तर प्रदेश	0	27	3	0	-12	0
26	उत्तराखण्ड	2	339	0	193	0	243
27	पश्चिम बंगाल	0	7698	16	4130	0	1022
	कुल	7934	58964	2587	41584	1197	14956
*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में, इन राज्यों द्वारा डीपीआर में कोई भी गैर-विद्युतीकृत गांव प्रस्तावित नहीं किया गया था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है।							
(-)संबंधित राज्य डिस्कॉमों/कार्यान्वयन एजेंसियों ने पहले दी गई प्रगति रिपोर्ट में गैर-विद्युतीकृत गांवों (यूईवी)/गहन विद्युतीकृत गांवों (आईईवी) की संख्या कम कर दी थी।							

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2018

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

अति वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली मानक

2018. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अति वृहद विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए बोली मानकों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा और तमिलनाडु में दो अति वृहद विद्युत परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समीक्षा प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और नए मानक तय कर लिए जाएंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : सरकार ने अपर्याप्त उत्तर के कारण ओडिशा में बेदाबहल और तमिलनाडु में चैन्नूर स्थित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के लिए बोलियां निरस्त कर दी हैं। विद्युत मंत्रालय ने पहले ही शीघ्रता से यह सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है कि क्या अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2019

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उत्पादन क्षमता
संबंधी लक्ष्य

2019. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन क्षमता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-वार क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) इन लक्ष्यों को हासिल करने में क्या बाधाएं हैं और वे अपनी बाधाओं को कैसे दूर करेंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अगले तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य अनुबंध में है।

(ख) और (ग) : इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण में देरी प्राकृतिक आपदाएं, कानून-व्यवस्था समस्याएं, संविदात्मक मुद्दे, भू-गर्भीय आकस्मिकताएं, कठिन भू-भाग एवं संयंत्रों के निर्माण एवं चालू किए जाने हेतु सामग्री आपूर्ति में देरी तथा कुशल जनशक्ति की कमी आदि हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समस्याओं को हल करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं :

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजना स्थलों के दौरे कर विकासकर्ताओं तथा स्टैक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श कर तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट का अध्ययन कर प्रत्येक विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन की गहनता से निगरानी करता है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विद्युत परियोजना पैनल (पीपीएमपी) परियोजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन तथा निगरानी करता है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा सीईए के संबंधित अधिकारियों द्वारा उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटीयों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ परियोजना कार्यान्वयन में देरी के किसी भी मुद्दों का समाधान तथा इसे हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अगले तीन वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
क	हाइड्रो परियोजनाएं			
(I)	एनएचपीसी लिमिटेड (हाइड्रो)			
1	तीस्ता लो डैम-IV 4x40= 160 मेगावाट	यू-1 से यू-4	160	2015-17
2	किशनगंगा 3x110= 330 मेगावाट	यू-1 से यू-3	330	2016-17
	उप-जोड़		490	
(II)	नीपको लिमिटेड (हाइड्रो)			
1	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	600	2016-17
2	पारे 2x55= 110 मेगावाट	यू-1 से यू-2	110	2016-17
3	तुरियल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	60	2016-17
	उप-जोड़		770	
(III)	एनटीपीसी लिमिटेड (हाइड्रो)			
1	कोलडैम 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	800	2015-16
2	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4 यू-1 से यू-4	520	2017-18
	उप-जोड़ एनटीपीसी हाइड्रो		1320	
	कुल (हाइड्रो)		2580	
ख	थर्मल परियोजनाएं			
(I)	एनटीपीसी लिमिटेड (थर्मल)			
1	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-1	250	जून-15
2	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-3	195	मार्च-15
3	विंध्याचल टीपीपी फेज-V	यू-13	500	अक्टू-15
4	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-2	250	16-17
5	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-3	250	16-17
6	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	16-17
7	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-4	195	दिसं.-15
8	नबीनगर टीपीपी	यू-1	250	दिसं.-15
9	नबीनगर टीपीपी	यू-2	250	दिसं.-16

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
10	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	यू-1	800	मई-16
11	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-2	660	17-18
12	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-3	660	17-18
13	नबीनगर टीपीपी	यू-3	250	जून-16
14	नबीनगर टीपीपी	यू-4	250	जून-17
15	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	जून-17
16	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-2	660	सितं.-17
17	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-3	660	जून-18
18	लारा टीपीएस	यू-1	800	नव.-16
19	लारा टीपीएस	यू-2	800	मई-17
20	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी	यू-1	660	फर.-18
21	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	यू-2	800	सितं.-16
22	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	यू-3	800	मई-17
23	मौदा एसटीपीपी फेज-II	यू-3	660	दिसं.-16
24	मौदा एसटीपीपी फेज-II	यू-4	660	जून-17
25	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	मई-17
26	सोलापुर एसटीपीपी	यू-2	660	नव.-17
27	गदरवारा टीपीपी	यू-1	800	जून-17
28	गदरवारा टीपीपी	यू-2	800	दिसं.-17
29	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	फर.-18
30	ऊंचाहार-IV	यू-6	500	नव.-17
31	मेजा एसटीपीपी	यू -1	660	मई-17
32	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660	नव.-17
	एनटीपीसी का उप-जोड़ (थर्मल)		18120	
	एनटीपीसी का उप-जोड़ (थर्मल+हाइड्रो)		19440	
(II)	डीवीसी			
1	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपें.	यू-1	500	दिसं.-15
2	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	यू-2	600	अग.-15
	डीवीसी का उप-जोड़		1100	
(III)	एनएलसी			
1	तूतीकोरिन जेवी	यू-2	500	जून-15
	एनएलसी का उप-जोड़		500	
(IV) ख	नीपको लिमिटेड (थर्मल)			
1	मोनार्चक सीसीपीपी	जीटी	61.3	मई-15
2	मोनार्चक सीसीपीपी	एसटी	39.7	जुलाई-15
3	अगरतला सीसीपीपी	एसटी -1	25.5	मई-15
4	अगरतला सीसीपीपी	एसटी -2	25.5	मार्च-15
	नीपको का उपजोड़ (थर्मल)		152	
	कुल (थर्मल)		19872	
	सकल योग (थर्मल+हाइड्रो)		22452	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2020

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई का क्रियान्वयन

2020. श्री मोती लाल वोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का नाम परिवर्तित किया गया है और यदि हां, तो योजना का परिवर्तित नाम क्या है;

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी;

(ग) फरवरी 2015 तक इस योजनान्तर्गत राज्य-वार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया; और

(घ) इस योजनान्तर्गत प्रारंभ से अब तक, वर्ष-वार, राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं। भारत सरकार ने नवंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के नाम से एक नई स्कीम अनुमोदित की है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का डीडीयूजीजेवाई के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में समावेश किया गया है।

(ख) : आरजीजीवीवाई की शुरुआत अप्रैल, 2005 में की गई थी।

(ग) : दिनांक 28.02.2015 की स्थिति के अनुसार 1,09,589 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य तथा 3,15,879 विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण कार्य पूरे किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध पर है।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत किसी राज्य/जिले को निधियों का अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। संस्वीकृत परियोजनाओं को पूर्व किस्त(तों) में राशि के रिपोर्ट दिए गए उपयोग और अन्य शर्तों को पूरा

करने पर के आधार पर किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी को स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया वर्षवार बजट निम्नानुसार है:

(रुपय करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य
2004-05	400.00
2005-06	1100.00
2006-07	3000.00
2007-08	3913.00
2008-09	5500.00
2009-10	5000.00
2010-11	5000.00
2011-12	3544.00
2012-13	2492.02
2013-14	3137.65
2014-15	3386.38
कुल	36473.05

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2020 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गांवों की राज्य-वार संख्या जहां आरई कार्य करवा लिए गए हैं			
क्रम सं.	राज्य	संचयी उपलब्धि (28.02.2015 की स्थिति के अनुसार)	
		गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण	गांवों का गहन विद्युतीकरण (आईईवी)
1	आंध्र प्रदेश*	0	16114
2	अरुणाचल प्रदेश	2090	1342
3	असम	8338	12827
4	बिहार	23223	7478
5	छत्तीसगढ़	1296	15273
6	गुजरात*	0	16144
7	हरियाणा*	0	5137
8	हिमाचल प्रदेश	91	9014
9	जम्मू व कश्मीर	212	3177
10	झारखण्ड	18279	5799
11	कर्नाटक	58	24040
12	केरल*	0	949
13	मध्य प्रदेश	777	32833
14	महाराष्ट्र*	0	36148
15	मणिपुर	808	1322
16	मेघालय	1841	2937
17	मिजोरम	152	517
18	नागालैंड	102	1169
19	ओडिशा	14437	26817
20	पंजाब*	0	6030
21	राजस्थान	4211	33456
22	सिक्किम	25	405
23	तमिलनाडु	0	9673
24	तेलंगाना	0	9485
25	त्रिपुरा	144	652
26	उत्तर प्रदेश	27806	3458
27	उत्तराखण्ड	1514	10090
28	पश्चिम बंगाल	4185	23593
	कुल	109589	315879

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में, इन राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में कोई भी गैर-विद्युतीकृत गांव प्रस्तावित नहीं था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2021

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण नेटवर्क में सुधर

2021. श्रीमती कानीमोड़ी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में पर्याप्त निकास सुविधाओं की कमी के कारण वहां उत्पादित पवन ऊर्जा की बड़ी मात्रा बेकार चली जाती है;
- (ख) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत हरित ऊर्जा गलियारे का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और
- (घ) क्या सरकार ने अपर्याप्त पारेषण नेटवर्क, जिसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पादन क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है, की समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं। तमिलनाडु में पवन से उत्पादित विद्युत सहित नवीकरणीय विद्युत के लिए पर्याप्त निकास अवसंरचना प्रदान करने के क्रम में, अन्य नियंत्रण अवसंरचना सहित, अंतरा-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण वाली वृहत् पारेषण योजना "हरित ऊर्जा गलियारे" के भाग के रूप में तमिलनाडु में कार्यान्वयनाधीन है। उक्त परियोजना उत्तरोत्तर रूप से 2017 तक पूरी होगी।

(घ) : अंतर-राज्य उत्पादक स्टेशनों से विद्युत निकासी करने के लिए, अपेक्षित पारेषण प्रणाली की योजना सीईआरसी के विनियमों अर्थात् "अंतर-राज्य पारेषण में कनेक्टिविटी, दीर्घकालीन पहुंच एवं मध्यकालीन खुली पहुंच देना तथा संबंधित मामलों" के अनुरूप बनायी जाती है।

इस उद्देश्य से, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, अर्थात् पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। राज्य उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों द्वारा अपने राज्य विनियामक आयोगों के विनियमों के अनुरूप पारेषण प्रणालियों की योजना बनाई जाती है तथा उनका कार्यान्वयन किया जाता है।

तमिलनाडु के लिए अंतरा-राज्य एवं अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के ब्यौरे अनुबंध पर हैं। सभी नवीकरणीय ऊर्जा बहुल राज्यों अर्थात् राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। पावरग्रिड ने भावी सौर उद्यानों से विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा-II (भाग-2) स्कीम को भी प्रस्तुत कर दिया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.03.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2021 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु के लिए अंतः-राज्य और अंतरराज्यीय; पारेषण प्रणाली का ब्यौरा

अंतः-राज्य

क्रम सं.	विवरण	लागत (रुपए करोड़ में)
1	पवूरचतरम (थेन्नामप्प्ली) में 400 केवी एसएस	170.00
2	पवूरचतरम-कायाथार 400 केवी एसएस (56 कि.मी.) तथा कायाथार 400 केवी एसएस - कोइलप्प्ली (पीजीसीआईएल एसएस) (55 कि.मी.) को जोड़ने वाली 400 केवी डीसी लाइन तथा कायाथार एसएस में चार 400 केवी बे का प्रावधान	311.00
3	रशिपालायम तथा सिंगरापेट (पालावडी) (195 कि.मी.) को जोड़ने वाली 400 केवी डीसी लाइन तथा दो 400 केवी बे पालावडी एसएस	563.00
4	तिरुनेलवेली, मदुरै, कोयम्बटूर क्षेत्र में विभिन्न सब-स्टेशनों को जोड़ने वाली 230 केवी पारेषण लाइनें तथा संबंधित सब-स्टेशनों में तेरह 230 केवी बे	447.18
5	छः मौजूदा सब-स्टेशनों में 230/110 केवी अंतरण क्षमता का संवर्द्धन	102.00
कुल लागत		1593.18

अंतरराज्यीय

क्रम सं.	विवरण	लागत (रुपए करोड़ में)
1	तिरुनेलवेली पूर्लिंग स्टेशन में 2x500 एमवीए, 400/230 केवी एस/एस की स्थापना	750 .00
2	तिरुनेलवेली पूर्लिंग स्टेशन - तूतीकोरिन पूर्लिंग स्टेशन 400 केवी 2xडी/सी (क्वाड)	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2036

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

जांच के अधीन वेबसाइटों/परामर्शदात्री कंपनियों को भुगतान

2036. श्री सल्लिम अन्सारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने ऐसी वेबसाइटों/परामर्शदात्री कंपनियों को भारी अंशदान/शुल्क/विज्ञापन राशि का भुगतान किया है, जिनकी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा दस्तावेज लीक होने के मामले में जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वेबसाइटों/पोर्टलों और परामर्शदाताओं को अब तक भुगतान किए गए अंशदान/शुल्क/विज्ञापन की राशि का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीजीसीआईएल ने इन दागी सलाहकारों/परामर्शदाताओं से दस्तावेज भी हासिल किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दागी परामर्शदाताओं/पोर्टलों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीजीसीआईएल के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दस्तावेजों की चोरी होने के मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जाँच की जा रही वेबसाइट/परामर्शदात्री कंपनियों के ब्यौरे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास नहीं है। नीतिगत मामले के अनुसार, पीजीसीआईएल कंपनी की कारपोरेट छवि बनाने के लिए प्रचार आवश्यकता/लाभ पर निर्भर करते हुए वेबसाइट/परामर्शी कंपनियों/पोर्टलों सहित प्रतिष्ठित एजेंसियों को समय-समय पर केवल विज्ञापन जारी करती है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।
